भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *85
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों में क्षमता निर्माण

***85 श्री नव चरण माझी:**
श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों और स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में गुणवत्ता मानकों, स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता और पोषण संबंधी परिणामों के संवर्धन के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख) राज्यवार ऐसी पहलों का कितना कार्यान्वयन किया गया है और समुदायों पर उनके प्रभाव और उन तक पहुंच से संबंधित मापन योग्य संकेतक क्या हैं;
(ग) क्या सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए कोई प्रशिक्षण/कौशल/क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान जिलावार और राज्यवार कितने अधिकारियों और फील्ड कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया या उनका कौशल वर्धन किया गया है;
(घ) क्या सरकार ने विशेषकर जलगांव जैसे आकांक्षी जिलों या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सेवा परिदान, पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में सुधार करने में ऐसे कार्यक्रमों के परिणामों अथवा प्रभावशीलता का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) देश भर में कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं और प्रत्येक ऐसे केंद्र को जिलावार और राज्यवार कितना बजट आवंटित किया गया है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ड.) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

"आंगनवाड़ी केंद्रों में क्षमता निर्माण" के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ) : पोषण अभियान मार्च, 2018 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य तालमेल बनाकर और समग्र रूप से कुपोषण के मुद्दे का समाधान करना है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवाएँ, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है ताकि कुपोषण की चुनौती से निपटा जा सके। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक योजना है, जो राजस्थान राज्य सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रहा है।

पोषण, केवल भोजन करने तक ही सीमित नहीं है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय की आवश्यकता होती है, जो स्वच्छता, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल तक पहुँच जैसे कारकों से प्रभावित होता है। चूँकि कुपोषण के लिए जिसमें बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। भोजन, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता और शिक्षा के आयाम शामिल होते हैं, इसलिए कुपोषण की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करना अत्यंत आवश्यक है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और स्वास्थ्य, आरोग्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हेतु एक नई कार्यनीति बनाई गई है। यह आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार मानकों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आरोग्यता पर केंद्रित है ताकि दुर्बलता, बौनापन, रक्ताल्पता और कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस मिशन के अंतर्गत बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक के) बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है ताकि जीवनचक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चक्र को खत्म किया जा सके। अनुपूरक पोषण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची 2 में निहित पोषण मानदंड

के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी, 2023 में संशोधित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे; जबकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जिनमें गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यवस्था है।

महिलाओं एवं बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने और घर ले जाने वाले (टेक-होम) राशन में सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट्स के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण की रोकथाम और उपचार तथा इससे संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत किए गए प्रमुख कार्यकलापों में एक पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता अभियान चलाया जाना है क्योंकि पोषण संबंधी अच्छी आदतें अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान, जन आंदोलन के तहत नियमित रूप से जागरूकता गतिविधियाँ कर रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सामुदायिक आधारित कार्यक्रम (सीबीई) पोषण संबंधी प्रथाओं में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने सामुदायिक आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित है।

मिशन पोषण 2.0 में अप्रैल 2022 से जून, 2025 की अवधि के दौरान अब तक 4.17 करोड़ समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पोषण ट्रैकर के जून 2025 के आंकड़ों के अनुसार इन समुदाय आधारित कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

2018 से अब तक 14 जन आंदोलन (पोषण माह और पोषण पखवाड़े में प्रत्येक में 7) आयोजित किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 140 करोड़ आउटरीच गतिविधियों

की सूचना दी गई थी (वर्ष 2018 से अब तकआयोजित किए गए जन आंदोलनों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है)।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1992-93 से किए जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में (एनएफएचएस) के विभिन्न दौरों से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण के संकेतकों में सुधार देखने को मिला है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**ठिगनापन %**	**अल्प वजन%**	**दुबलापन %**
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस-2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस-3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस-5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका प्रासंगिक समय पर 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों को दर्शाती है।

वर्ष 2021 में भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)। जून 2025 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक की आयु के केवल 7.36 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत थे। इनमें से 7 करोड़ बच्चों की लंबाई और वजन के विकास मापदंडों पर माप की गई। इनमें से 37.07% बच्चे बौने, 15.93% कम वजन वाले और 5.46% दुबर्ल पाए गए।

इसके अतिरिक्त, भारत में वर्ष 2021 में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के जून, 2025 के आंकड़ों के अनुसार 8.61 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित किए गए थे, जिनमें से 8.9 करोड़ बच्चों की लंबाई और वज़न के विकास पैरामीटरों के आधार पर माप की गई थी। इनमें से 35.91% बच्चों में (0-6 वर्ष) में ठिगनापन और 16.50% बच्चों में (0-6 वर्ष) कम वज़न की समस्या पाई गई है।

उपर्युक्त एनएफएचएस डेटा और पोषण ट्रैकर डेटा के विश्लेषण से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाई देता है।

भारत सरकार ने 10 मई, 2023 को पोषण भी पढ़ाई भी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कौशल विकास करना है ताकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा और पोषण सेवा प्रदान करने में उनका क्षमता निर्माण किया जा सके।

पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। इस प्रशिक्षण को मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में प्रारंभ नवचेतना – जन्म से 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन ढांचा और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आधारशिला- राष्ट्रीय ईसीसीई पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। दिव्यांग बच्चों की सहायता करने पर विशेष जोर दिया जाता है ताकि समावेशी अधिगम पद्धतियां सुनिश्चित की जा सकें। प्रशिक्षण में दो स्तरीय मॉडल अपनाया जाता है, जिसमें राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक को दो दिवसीय गहन प्रशिक्षण दिया जाता है, (स्तर-I) जो बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन-दिवसीय, परस्पर विचार-विमर्श, तैयार मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं (स्तर-II)।

पोषण भी पढ़ाई भी पहल के अंतर्गत 22 जुलाई, 2025 तक 41,360 राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों (सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और अतिरिक्त स्रोत व्यक्ति) और 5,62,222 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रशिक्षित राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के प्रयोग के संबंध में सीधे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए नियमित क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। पोषण ट्रैकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए स्वयं सीखने के वीडियो भी उपलब्ध हैं, जिससे उनका निरंतर क्षमता निर्माण होता है और डिजिटल मॉड्यूलों के माध्यम से वे कार्य पर रहते हुए अपने कार्यों के बारे में सीख सकती हैं। राज्य और ब्लॉक समन्वयक पोषण ट्रैकर के प्रभावी उपयोग और कार्यान्वयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पर सुलभ सहायता प्रदान करते हैं।

(ड.) : देश भर में, स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या **अनुलग्नक- IV** में और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक- V** में दिया गया है।

****

अनुलनक-I

"आंगनवाड़ी केंद्रों में क्षमता निर्माण" के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

पोषण ट्रैकर के माध्यम से अप्रैल, 2022 से जून, 2025 तक मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सूचित राज्य-वार समुदाय आधारित कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सूचित राज्य-वार समुदाय आधारित कार्यक्रम (अप्रैल, 2022 से जून, 2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	2,099,133
2	अरुणाचल प्रदेश	22,220
3	असम	961,334
4	बिहार	4,462,915
5	छत्तीसगढ	1,397,309
6	गोवा	45,846
7	गुजरात	2,630,855
8	हरियाणा	818,889
9	हिमाचल प्रदेश	781,634
10	झारखंड	989,899
11	कर्नाटक	1,231,089
12	केरल	1,192,478
13	मध्य प्रदेश	2,957,971
14	महाराष्ट्र	3,627,741
15	मणिपुर	258,501
16	मेघालय	133,498
17	मिजोरम	62,886
18	नागालैंड	30,440
19	ओडिशा	2,579,991
20	पंजाब	687,571
21	राजस्थान	1,733,603
22	सिक्किम	58,681
23	तमिलनाडु	2,435,041
24	तेलंगाना	1,356,874
25	त्रिपुरा	17,173
26	उत्तर प्रदेश	4,204,883
27	उत्तराखंड	454,874
28	पश्चिम बंगाल	2,917,514
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	25,661
30	दादरा और नागर हवेल एवं दमन व दीव	12,448
31	दिल्ली	462,110
32	जम्मू एवं कश्मीर	1,033,704
33	लद्दाख	15,117
34	लक्षद्वीप	444
35	पुद्दुचेरी	26,408
36	चंडीगढ़-संघ राज्य क्षेत्र	22,465
	कुल	**41,749,200**

अनुलग्नक-II

"आंगनवाड़ी केंद्रों में क्षमता निर्माण" के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

जन आंदोलन डैशबोर्ड के माध्यम से वर्ष 2018 से सूचित राज्य-वार जन आंदोलन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,934
2	आंध्र प्रदेश	38,188,331
3	अरुणाचल प्रदेश	82,435
4	असम	3,048,848
5	बिहार	221,029,182
6	चंडीगढ़	781,335
7	छत्तीसगढ़	31,076,412
9	दादरा और नागर हवेली एवं दमन व दीव	20,227
8	दिल्ली	767,697
10	गोवा	101,521
11	गुजरात	226,976,320
12	हरियाणा	10,868,384
13	हिमाचल प्रदेश	2,453,542
14	जम्मू एवं कश्मीर	6,392,049
15	झारखंड	15,857,036
16	कर्नाटक	7,159,121
17	केरल	6,791,792
18	लद्दाख	1,761
19	लक्षद्वीप	833
20	मध्य प्रदेश	130,692,848
21	महाराष्ट्र	383,785,295
22	मणिपुर	1,398,405
23	मेघालय	140,654
24	मिजोरम	61,995
25	नागालैंड	319,721
26	ओडिशा	22,006,531
27	पुद्दुचेरी	52,927
28	पंजाब	24,624,993
29	राजस्थान	28,422,472
30	सिक्किम	113,199
31	तमिलनाडु	159,676,713
32	तेलंगाना	17,585,002
33	त्रिपुरा	60,215
34	उत्तर प्रदेश	109,068,759
35	उत्तराखंड	1,324,701
36	पश्चिम बंगाल	1,882,201
		1,452,822,391

अनुलग्नक-III

"आंगनवाड़ी केंद्रों में क्षमता निर्माण" के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षणों का राज्य-वार विवरण

	राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री	
	लक्ष्य	**पूर्ण**	**लक्ष्य**	**पूर्ण**
भारत	**43,488**	**41,360**	**13,15,162**	**5,62,222**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	45	49	720	732
आंध्र प्रदेश	2059	2050	54,908	53321
अरुणाचल प्रदेश	465	648	6225	1375
असम	2353	2794	60,964	22238
बिहार	3366	2178	1,12,094	90263
चंडीगढ़	24	33	434	548
छत्तीसगढ़	2126	2009	51,245	11072
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	24	50	405	240
दिल्ली	434	581	10498	10412
गोवा	65	64	1224	1148
गुजरात	2044	2127	49,884	4122
हरियाणा	804	808	23,902	8044
हिमाचल प्रदेश	746	744	18,663	0
जम्मू और कश्मीर	1265	1244	27,543	24932
झारखंड	862	980	37,944	11760
कर्नाटक	2247	2149	64,118	426
केरल	1348	1656	33,115	15198
लद्दाख	46	73	1143	1153
लक्षद्वीप	4	8	59	0
मध्य प्रदेश	3567	2996	95,953	91458
महाराष्ट्र	2892	2475	1,05,023	36120
मणिपुर	489	636	11,466	4576
मेघालय	306	288	5896	1958
मिजोरम	161	202	2244	2357
नागालैंड	293	398	3980	3727
ओडिशा	3266	2742	73,314	8722
पुद्दुचेरी	19	47	595	616
पंजाब	847	1184	27,075	7922
राजस्थान	1622	1644	60,874	57948
सिक्किम	95	81	1308	387
तमिलनाडु	2062	1828	43,602	300
तेलंगाना	1540	1531	33,789	0
त्रिपुरा	308	282	10,131	3192
उत्तर प्रदेश	3585	2132	1,59,938	46430
उत्तराखंड	652	634	19,311	4882
पश्चिम बंगाल	1457	2015	1,05,575	34643
कुल	**43,488**	**41,360**	**13,15,162**	**5,62,222**

अनुलग्नक-IV

"आंगनवाड़ी केंद्रों में क्षमता निर्माण" के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (ड.) में उल्लिखित विवरण

स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमडब्ल्यूसीडी के अनुसार स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र *
1	आंध्र प्रदेश	55969
2	अरुणाचल प्रदेश	6225
3	असम	62142
4	बिहार	115097
5	छत्तीसगढ़	52642
6	गोवा	1262
7	गुजरात	53065
8	हरियाणा	25962
9	हिमाचल प्रदेश	18925
10	झारखंड	38957
11	कर्नाटक	66098
12	केरल	33120
13	मध्य प्रदेश	97882
14	महाराष्ट्र	110664
15	मणिपुर	11585
16	मेघालय	6188
17	मिजोरम	2285
18	नागालैंड	3980
19	ओडिशा	74223
20	पंजाब	27314
21	राजस्थान	62196
22	सिक्किम	1308
23	तमिलनाडु	54481
24	तेलंगाना	35781
25	त्रिपुरा	10474
26	उत्तर प्रदेश	190146
27	उत्तराखंड	20070
28	पश्चिम बंगाल	119481
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	720
30	चंडीगढ़	450
31	दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव	405
32	दिल्ली	10897
33	जम्मू एवं कश्मीर	28426
34	लद्दाख	1173
35	लक्षद्वीप	59
36	पुद्दुचेरी	855
कुल		1400507

अनुलग्नक-V

"आंगनवाड़ी केंद्रों में क्षमता निर्माण" के संबंध में दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (ड.) में उल्लिखित विवरण

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत दी गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन पोषण 2.0										
		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14.98	13.34	16.37	6.37	19.71	13.36	3.85	5.17	12.15	11.06	9.63
2	आंध्र प्रदेश	825.24	686.20	701.82	763.99	744.60	749.91	827.79	721.45	705.68	734.52	645.73
3	अरुणाचल प्रदेश	134.71	134.79	82.92	65.01	170.83	230.77	137.78	145.74	162.06	139.34	102.61
4	असम	1365.53	1241.33	1109.75	1255.72	1319.90	1432.19	1651.63	1717.00	2233.31	2804.16	2482.34
5	बिहार	1539.37	1253.87	1288.98	1444.36	1574.43	1608.02	1740.09	1586.61	1859.29	1703.55	2262.92
6	चंडीगढ़	17.03	13.30	13.35	16.08	15.32	23.09	33.10	33.10	19.79	19.26	14.56
7	छत्तीसगढ़	483.88	548.81	513.95	542.07	606.73	522.72	668.96	571.80	579.46	664.31	733.3
8	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	17.20	8.24	9.02	9.02	9.33	9.56	5.80	5.80	11.97	11.57	9.13
9	दिल्ली	133.06	140.49	102.70	139.84	133.11	125.52	182.77	142.84	161.81	135.31	160.41
10	गोवा	16.02	17.02	20.44	17.46	10.84	12.92	14.71	16.83	13.95	12.22	13.44
11	गुजरात	854.00	725.25	633.13	873.79	839.86	757.92	912.64	552.30	1126.80	658.81	601.32
12	हरियाणा	181.00	149.87	185.29	232.54	173.03	146.99	195.25	150.24	225.78	183.94	232.69
13	हिमाचल प्रदेश	251.82	295.25	258.55	295.89	247.99	386.68	270.24	247.76	301.09	146.69	313.07
14	जम्मू एवं कश्मीर	332.85	328.31	294.17	450.82	405.74	704.57	479.01	416.23	530.88	595.21	662.79
15	झारखंड	436.10	455.87	464.33	348.68	352.98	183.30	430.91	596.03	664.30	560.25	496.95
16	कर्नाटक	861.87	916.51	697.17	1012.84	1003.70	984.62	765.87	885.65	912.96	729.26	886.85
17	केरल	321.42	331.23	352.03	384.79	388.23	397.98	444.98	325.43	306.64	359.22	435.74
18	लद्दाख	0.00	0.00	24.18	24.69	14.70	14.67	18.79	18.79	19.62	18.06	18.89
19	लक्षद्वीप	2.59	1.27	3.06	2.06	2.11	2.73	0.44	0.44	2.88	2.73	1.35
20	मध्य प्रदेश	1225.60	1276.10	1238.06	1125.20	1085.47	1055.83	1011.57	1038.67	1123.11	1048.42	1144.54
21	महाराष्ट्र	1669.40	1416.45	1205.99	1517.51	1713.39	1609.02	1646.17	1589.97	1699.52	1219.66	1368.84
22	मणिपुर	162.54	142.27	175.77	148.45	228.92	177.28	135.95	167.74	201.28	224.68	342.87
23	मेघालय	225.66	181.19	177.92	185.25	173.33	177.86	192.39	200.24	269.69	193.3	137.93
24	मिजोरम	63.26	56.45	74.60	64.67	59.32	61.57	42.81	46.65	100.27	72.19	55.29
25	नागालैंड	178.92	169.55	167.23	169.19	159.80	160.21	199.30	190.47	262.91	209.24	147.01
26	ओडिशा	860.66	892.46	858.68	896.85	1065.98	871.20	923.92	884.92	968.80	891.06	948.16
27	पुदुचेरी	9.86	8.45	4.38	3.50	2.78	6.13	0.12	6.68	4.48	8.35	3.68
28	पंजाब	201.44	175.11	174.71	207.82	383.52	177.94	75.31	247.25	307.87	220.55	265.48

29	राजस्थान	673.95	665.42	641.77	702.90	682.65	771.64	974.02	936.17	1091.96	880.87	741.85
30	सिक्किम	29.47	33.70	24.50	26.06	25.73	24.59	20.33	24.09	33.49	23.77	18.07
31	तमिलनाडु	764.73	652.94	619.43	695.85	655.38	681.28	766.81	741.30	880.79	662.4	638.47
32	तेलंगाना	529.96	420.08	405.32	564.04	482.33	479.30	550.69	503.33	507.87	522.99	430.76
33	त्रिपुरा	166.47	164.05	154.16	177.85	186.72	171.66	150.52	186.55	244.22	211.2	153.41
34	उत्तर प्रदेश	2544.00	2480.79	2017.49	1925.75	2407.55	2341.91	2721.87	2622.64	2668.69	2510.27	2694.62
35	उत्तराखंड	373.96	378.21	327.92	350.07	353.65	336.03	425.84	364.77	288.24	426.34	216.33
36	पश्चिम बंगाल	1165.26	1321.90	1066.64	897.89	668.35	1378.31	1227.59	1455.89	1237.56	1522.4	1513.8
कुल		**18633.81**	**17696.07**	**16105.78**	**17544.87**	**18368.01**	**18789.28**	**19849.82**	**19346.54**	**21741.17**	**20337.16**	**20904.83**

******